अनुदान संख्या 100 – युवा मामले और खेल मंत्रालय
GRANT No. 100 - MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged -*				
पूरक	*Supplementary*	*96,87,00*	*96,87,00*	..	*-96,87,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*96,87,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1888,46,00	1907,51,00	1710,21,13	-197,29,87
पूरक	Supplementary	19,05,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				192,16,33
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		54,75,00	12,49,79	-42,25,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				42,25,21

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*₹ 9687.00 लाख*) दिसंबर, 2017 में प्राप्त किए गए *₹9687.00 लाख* के पूरक *विनियोग* का 100 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई :–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*₹ 9687.00 lakhs*) constituted 100 percent of the supplementary *appropriation* of *₹ 9687.00 lakhs* obtained in December, 2017.

Savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2204"	Major Head "2204"				
खेल और युवा सेवाएं	Sports and Youth Services				
पू.	*S.*	*9687.00*	*9687.00*	..	*-9687.00*

(I) ₹9687.00 लाख का पूरक *विनियोग* एक मामले के अंतर्गत "खेलकूद और खेल– राष्ट्रमंडल खेल" के अंतर्गत पुरस्कार राशि के अंतिम रूप न लिए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) *Supplementary Appropriation* of *₹9687.00 lakhs* remained wholly unutilised in one case under "Sports and Games - Commonwealth Games" - due to non-finalisation of award money.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹19729.87 लाख) जुलाई, 2017 दिसंबर, 2017 तथा मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹1905.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गई जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹19729.87 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹1905.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 and constituted 10 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

Savings/excess occurred under the following major heads:

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय– सामाजिक सेवाएं	Secretariat- Social Services				
मू.	O.	2800.00	2527.36	2522.53	-4.83
पु.	R.	-272.64			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2204"	Major Head "2204"				
खेलकूद और युवा सेवाएं	Sports and Youth Services				
मू.	O.	171206.00			
पू.	S.	1903.00	169005.29	168498.60	-506.69
पु.	R.	-4103.71			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	14840.00			
पू.	S.	2.00	2.02	..	-2.02
पु.	R.	-14839.98			

(I) ₹23591.00 लाख का प्रावधान (₹2.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) बीस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹23435.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) मुख्य शीर्ष "2204" – "खेलकूद और खेल" –

(क) "जम्मू और कश्मीर में खेलकूद सुविधाओं की वृद्धि" – ₹7500.00 लाख – पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण थे।

(ख) "हिमालय क्षेत्र खेलकूद उत्सव" – ₹1143.00 लाख – भारतीय ओलंपिक संघ से प्रतिक्रिया की कमी की वजह से कार्यक्रम का आयोजन न किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(क) "खेलकूद और युवा सेवाएं – निदेशन और प्रशासन – नेहरू युवा केन्द्र संगठन" – ₹1639.40 लाख

(I) Provision of ₹23591.00 lakhs (including supplementary grant of ₹2.00 lakhs) remained wholly unutilised under twenty heads; of these ₹23435.00 lakhs accounted for under the following major heads:

(A) Major Head "2204"- "Sports and Games"-

(a) "Enhancement of Sports Facility at J&K"- ₹7500.00 lakhs - due to availability of unspent balance of previous year.

(b) "Himalayan Region Sports Festival"- ₹1143.00 lakhs - due to non-holding of event owing to lack of response from Indian Olympic Association

(B) Major Head "2552"

(a) "Sports and Youth Services - Direction and Administration - Nehru Yuva Kendra

(₹0.40 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ख) "खेलकूद और युवा सेवाएं – छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" –

(i) "राष्ट्रीय सेवा स्कीम" – ₹860.00 लाख;

(ii) "राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम" – ₹150.00 लाख;

(iii) "राष्ट्रीय युवा कोर" – ₹600.00 लाख;

(ग) "खेलकूद और युवा सेवाएं – गैर – छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" –

(i) "राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान" – ₹227.00 लाख;

(ii) "युवा नेता कार्यक्रम" – ₹250.00 लाख;

(घ) "खेलकूद और युवा सेवाएं – खेलकूद और खेल"–

(i) "भारतीय खेल प्राधिकरण" – ₹4901.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(ii) "लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान" – ₹1143.00 लाख;

(iii) "खेलो इंडिया" – ₹2667.00 लाख;

(ङ) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना" –

(i) "अनुसूचित जाति विकास स्कीम" – ₹1022.00 लाख;

Sangathan"- ₹1639.40 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.40 lakh);

(b) "Sports and Youth Services -Youth Welfare programme for Students"-

(i) "National Service Scheme"- ₹860.00 lakhs;

(ii) "National programme for Youth and Adolescent Development"- ₹150.00 lakhs;

(iii) "National Youth Corps"- ₹600.00 lakhs;

(c) "Sports and Youth Services -Youth Welfare Programme for Non Students"-

(i) "Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development" - ₹227.00 lakhs;

(ii) "Young Leader Programme"- ₹250.00 lakhs;

(d) "Sports and Youth Services - Sports and Games"-

(i) "Sports Authority of India"- ₹4901.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(ii) "Laxmibai National Institute of Physical Education"- ₹1143.00 lakhs;

(iii) "Khelo India"- ₹2667.00 lakhs;

(e) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(i) "Scheme for the development of scheduled castes"- ₹1022.00 lakhs;

(ii) "स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹598.30 लाख (₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(च) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना" –

(i) "संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परंतुक के अंतर्गत अनुदान" – ₹391.00 लाख और

(ii) "स्वायत्त निकायों को अनुदान" – ₹343.30 लाख (₹0.30 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित)

उपर्युक्त तेरह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2204" के अंतर्गत "खेलकूद और खेल" के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शायी गई सीमा तक निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अप्रयुक्त रहाः–

(का) "खिलाड़ियों को प्रोत्साहन" – ₹1200.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹413.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1613.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹382.50 लाख की सीमा तक पुरस्कारों के लिए कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) "एंटी डोपिंग गतिविधियां" – ₹1400.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹15.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1415.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹10.00 लाख की सीमा तक रिक्त पदों को भरे न जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(III) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – युवा मामले और खेल मंत्रालय" – ₹277.47 लाख की बचत (₹2800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रकाशन, विज्ञापन

(ii) "Grants to Autonomous Bodies"- ₹598.30 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.30 lakh);

(f) "Tribal Area Sub-Plan" -

(i) "Grants under Proviso to article 275(1) of the constitution"- ₹391.00 lakhs; and

(ii) "Grants to Autonomous Bodies"- ₹343.30 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.30 lakh).

Provisions under the above thirteen heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Supplementary grant obtained under Major Head "2204" - "Sports and Games"- remained unutilised under the following heads to the extent as shown against each:-

(A) "Incentive to Sports Persons" - the original provision of ₹1200.00 lakhs was augmented to ₹1613.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹413.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹382.50 lakhs - due to receipt of less proposals for awards.

(B) "Anti-Doping Activities" - the original provision of ₹1400.00 lakhs was augmented to ₹1415.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹15.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹10.00 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

(III) Under Major Head "2251" - "Secretariat - Ministry of Youth Affairs and Sports" - saving of ₹277.47 lakhs (against the sanctioned provision of

और प्रचार और पेशेवर सेवाओं से संबंधित कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

₹2800.00 lakhs) was due to receipt of less proposals towards publication, advertisement and publicity and professional services.

(IV) मुख्य शीर्ष "2204" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:—

(IV) Under Major Head "2204" - savings occurred under the following heads: -

(का) "निदेशन और प्रशासन – राष्ट्रीय सेवा स्कीम" – ₹331.71 लाख की बचत (₹1490.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को भरे न जाने और कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration - National Service Scheme"- saving of ₹331.71 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1490.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less tours undertaken.

(खा) "शारीरिक शिक्षा – राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता कार्यक्रम" – ₹300.00 लाख की बचत (₹500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निश्चित कार्यक्रमों के मूर्त रूप न लेने के कारण हुई।

(B) "Physical Education - National Physical Fitness Programme"- saving of ₹300.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹500.00 lakhs) was due to non-materialization of certain programmes.

(गा) "विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – राष्ट्रीय सेवा स्कीमें" – ₹100.87 लाख की बचत (₹550.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एनएसएस साहसिक कार्यक्रम को एवं प्रशासनिक कारणों की वजह एनएसएस राष्ट्रीय एकीकृत कैंप को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(C) "Youth Welfare Programmes for Students - National Service Scheme"- saving of ₹100.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹550.00 lakhs) was due to non-finalisation of NSS Adventure Programme and NSS National Integration Camp owing to administrative reasons.

(घा) "गैर–छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" –

(D) "Youth Welfare Programmes for Non-students"-

(क) "राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को अनुदान" – ₹1031.00 लाख की बचत (₹2515.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने और मैसर्स राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा अवसंरचना संबंधित कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(a) "Grants to Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development"- saving of ₹1031.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2515.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous years and slow pace of infrastructure related work by M/s National Projects Construction Corporation.

(ख) "युवा नेता कार्यक्रम" – ₹916.60 लाख की बचत (₹1654.50 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्राम स्तर पर समीपवर्ती युवा संसद का संचालन न किए जाने, दिशानिर्देशों की तुलना में कार्यक्रम की लागत अधिक होने और युवा नेता पुरस्कार को मूर्त

(b) "Young Leader Programme"- saving of ₹916.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1654.50 lakhs) was due non-conduction of neighborhood Youth Parliament at village level, cost of

रूप न दिए जाने के कारण हुई।

programme being on higher side in comparison to guidelines and non-materialization of Youth Leader Awards.

(ङ) "खेलकूद और खेल" –

(क) "राष्ट्रीय खेलकूद कल्याण निधि" – ₹170.00 लाख की बचत (₹200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय वर्ष के अंत में प्रस्तावों की प्राप्ति देर से होने के कारण हुई।

(ख) "खेलकूद उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए सहायता" – ₹2911.89 लाख की बचत (₹0.20 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹23918.20 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) फीफा विश्व कप यू–17 के संचालन और मिशन XI मिलयन कार्यक्रम से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने और खेलकूद स्कीम में मानव संसाधन विकास के लिए निर्दिष्ट समिति द्वारा प्रस्तावों का अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ग) "राष्ट्रीय खेलकूद संस्था" – ₹718.95 लाख की बचत (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2015.50 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्थायी वित्त समिति द्वारा स्कीम को देर से अनुमोदन मिलने के कारण हुई।

(चा) "अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना" –

(क) "युवा नेता कार्यक्रम" – ₹185.00 लाख की बचत (₹390.30 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्राम स्तर पर समीपवर्ती युवा संसद का संचालन न किए जाने, दिशानिर्देश की तुलना में कार्यक्रम की लागत अधिक होने के कारण हुई।

(E) "Sports and Games"-

(a) "National Sports Welfare fund"- saving of ₹170.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200.00 lakhs) was due to late receipt of proposals at fag end of the financial year.

(b) "Assistance to Promotion of Sports Excellence"- saving of ₹2911.89 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹23918.20 lakhs including token supplementary of ₹0.20 lakh) was due to requirement of less funds towards conduction of FIFA U-17 World Cup and Mission XI Million Programme and non-approval of proposals by designated committee of Human Resource Development in Sports (HRDS) Scheme.

(c) "National Institute of Sports"- saving of ₹718.95 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2015.50 lakhs including token supplementary grant of ₹0.50 lakh) was due to late approval of the scheme by Standing Finance Committee.

(F) "Special Component Plan for Scheduled Castes"-

(a) "Young Leader Programme"- saving of ₹185.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹390.30 lakhs) was due to non-conduction of neighborhood Youth Parliament at village level, cost of the programme being on higher side in comparison to guidelines.

(ख) "खेलकूद और खेल सेवाएं – गैर–छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" – ₹403.00 लाख की बचत (₹814.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(छा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – खेलकूद और युवा सेवाएं – गैर छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" – ₹179.00 लाख की बचत (₹400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुईं।

(V) ₹237.19 लाख की बचतें तीन शीर्षों के अंतर्गत हुईं, जो प्रत्येक में ₹50.00 लाख से अधिक परंतु ₹100.00 लाख से कम और स्वीकृत प्रावधान का 47 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक थीं।

3. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹10258.86 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2204" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹1902.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

(का) "निदेशन और प्रशासन – नेहरू युवा केन्द्र संगठन" – ₹1639.00 लाख।

(खा) "विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – एनएसएस के कार्यान्वयन के लिए अनुदान" – ₹424.62 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹141.83 लाख था।

(गा) "खेलकूद और खेल" –

(क) "भारतीय खेल प्राधिकरण" – ₹4900.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹4899.70 लाख था।

(ख) "खेलों इंडिया" – ₹2667.00 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹2666.89 लाख था।

(b) "Sports and Youth Services - Youth Welfare Programmes for Non-Students"- saving of ₹403.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹814.00 lakhs); and

(G) "Tribal Area Sub-Plan - Sports and Youth Services - Youth Welfare Programmes for Non Students"- saving of ₹179.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹400.00 lakhs)

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balance of previous years.

(V) Under three heads savings of ₹237.19 lakhs occurred, each exceeding ₹50.00 lakhs but not exceeding ₹100.00 lakhs and constituting 47 percent to 69 percent of the sanctioned provision.

3.(I) The above savings were partly (₹10258.86 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1902.00 lakhs under Major Head "2204"- under the following heads:

(A) "Direction and Administration - Nehru Yuva Kendra Sangathan"- ₹1639.00 lakhs.

(B) "Youth Welfare Programmes for Students - Grants for Implementation of NSS"- ₹424.62 lakhs. Actual excess, however, was ₹141.83 lakhs.

(C) "Sports and Games"-

(a) "Sports Authority of India"- ₹4900.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹4899.70 lakhs.

(b) "Khelo India"- ₹2667.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2666.89 lakhs.

(घा) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – खेलकूद और खेल सेवाएं – निदेशन और प्रशासन” – ₹335.00 लाख।

(D) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Sports and Youth Services - Direction and Administration”- ₹335.00 lakhs.

(ङ) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” –

(E) “Tribal Area Sub-Plan”-

(क) “खेलकूद और खेल सेवाएं – निदेशन और प्रशासन” – ₹176.00 लाख।

(a) “Sports and Youth Services - Direction and Administration”-₹176.00 lakhs.

(ख) “खेलकूद और युवा सेवाएं – खेलकूद और खेल” – ₹117.24 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹117.14 लाख था।

(b) “Sports and Youth Services - Sports and Games”- ₹117.24 lakhs. Actual excess, however, was ₹117.14 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2204” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई :–

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2204” - under the following heads:-

(का) “शारीरिक शिक्षा – लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर” – ₹1067.75 लाख का अधिक व्यय (₹2288.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(A) “Physical Education - Lakshmibai National Institute of Physical Education, Gwalior”- excess of ₹1067.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2288.00 lakhs);

(खा) “गैर–छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – राष्ट्रीय युवा कोर” – ₹600.00 लाख का अधिक व्यय (₹3972.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(B) “Youth Welfare Programmes for Non students- National Youth Corps”- excess of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3972.00 lakhs);

(गा) “अनुसूचित जाति विशेष संघटक योजना – खेलकूद और युवा सेवाएं – शारीरिक शिक्षा” – ₹234.00 लाख का अधिक व्यय (₹468.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(C) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Sports and Youth Services - Physical Education”- excess of ₹234.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹468.00 lakhs); and

(घा) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना–खेलकूद और युवा सेवाएं– शारीरिक शिक्षा” – ₹123.00 लाख का अधिक व्यय (₹246.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

(D) “Tribal Area Sub-Plan - Sports and Youth Services - Physical Education”- excess of ₹123.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹246.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुई।

Excess under the above four heads was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

4. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	610.00	1249.79	1249.79	..
पु.	R.	639.79			
मुख्य शीर्ष "4552"	Major Head "4552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	4865.00	..	..	..
पु.	R.	-4865.00			

(I) ₹4865.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹4850.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4552" – "शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय – अन्य व्यय – पूर्वोत्तर में खेलकूद विश्वविद्यालय" – के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹4865.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads; of these ₹4850.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552"- "Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture - Other Expenditure - Sports University in North East"- due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

5. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "4202" – "खेलकूद और युवा सेवाएं– अन्य व्यय – राष्ट्रीय खेल संस्थान" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹640.00 लाख का अधिक व्यय (₹535.00 लाख के स्वीकृत

5. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4202" - "Sports and Youth Services - Other Expenditure - National Institute of Sports" - excess of ₹640.00 lakhs (against the

प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

sanctioned provision of ₹535.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.